(3)

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
ई– 1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने)
हिनू, राँची– 834002

आदेश

01.12.17

सुनवाई के कम में अपीलकर्त्ता की ओर से कमशः श्रीमती सुचित्रा देवी एवं अन्य उपस्थित। जनवितरण दुकानदार श्री दशरथ महतो उपस्थित। **D.S.O** रामगढ़ के प्रतिनिधि के रुप में **श्री रमण कुमार** प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी गोला उपस्थित।

D.G.R.O रामगढ़ का आदेश का अभिलेख प्राप्त है।

अपीलकर्त्ता द्वारा बतलाया गया कि **D.G.R.O** रामगढ़ द्वारा पारित आदेश की जानकारी और न ही प्रति प्राप्त हुआ है। उन्हें **D.G.R.O** के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई। अपीलार्थी द्वारा कहा गया कि राशन दुकानदार द्वारा कम मात्रा में अनाज आपूर्त्ति किया जाता है। प्रति लाभार्थी **2 K.G** की दर से वजन कम कर अनाज की आपूर्त्ति की जाती है। **मई 17** में दुकानदार के विरुद्ध शिकायत करने के पश्चात कम मात्रा में राशन अब नहीं दिया जाता है। अभी वर्त्तमान में सही मात्रा व वजन में राशन दिया जा रहा है। इस कम में अपीलकर्त्ता द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर स्थिति निम्नांकित हैः–

क सं0	नाम	देय राशन	दिया गया राशन	शेष (जो नहीं दिया गया)
1	अम्बिका देवी	30 Kg	26 Kg	4 Kg
2	प्रमिला देवी	15 Kg	12 Kg	3 Kg
3	सबिता देवी	20 Kg	18 Kg	2 Kg
4	शान्ति देवी	35 Kg	32 Kg	3 Kg
5	रोहिणी देवी	35 Kg	33 Kg	2 Kg
6	रुला देवी	20 Kg	19 Kg	1 Kg
7	सुचित्रा देवी	10 Kg	9 Kg	1 Kg

उक्त स्थिति माह **अक्टूबरः– 2016** से **मईः– 17** तक लगातार बनी रही। यानि लगातार **7** माह तक उपर्युक्त दर्शाए गए मात्रा के अनुरुप कम मात्रा में अनाज वितरण किया गया है।

जनवितरण प्रणाली कि विकेता श्री दशरथ महतो से पृच्छा की गई, उसके द्वारा कहा गया कि वह सही वजन, सही मात्रा और सही दर पर राशन का वितरण करते हैं।

प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया कि जाँच के कम में पूर्व में **2 KG** कम वजन कर राशन विवरण की पुष्टि हुई है और जाँच जारी है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं कथन के अनुसार **अक्टूबर 16 से मई 17** तक **2 KG** का राशन कम दिया गया किन्तु माह **मई 17** में शिकायत दर्ज होने के पश्चात दुकानदार द्वारा वजन एवं मात्रा सही दिया जा रहा है।

फिर भी अपीलार्थी श्रीमती रोहिणी देवी एवं रुला देवी द्वारा आग्रह किया गया कि विगत दिनों जितने मात्रा में कम अनाज मिले हैं उसकी राशि का भुगतान करा दी जाय और श्रीमती सुचित्रा देवी, प्रमिला देवी, शान्ति देवी, अम्बिका देवी और सबिता देवी द्वारा आग्रह किया गया कि दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द कर अन्य को नियुक्त किया जाय।

निष्कर्षः– **D.G.R.O** के आदेश और सभी पक्षों में सुनवाई के पश्चात स्पष्ट है कि दुकानदार द्वारा कम मात्रा में अनाज का वितरण किये जाने की पुष्टि विभाग द्वारा मामला को संज्ञान में लिया गया है।

आदेश

सभी पक्षों के समीक्षोपरान्त **D.G.R.O** रामगढ़ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन शीघ्र किया जाय। साथ ही ऊपर वर्णित लाभुकों को कम मात्रा में मिले अनाज का मूल्य प्रति किoग्राoः– **32.64**/–रुo के दर से कुल **7** माह का नगद भुगतान जनवितरण प्रणाली के विकेता द्वारा दिनांकः– **15.12.17** तक किया जाय। सुनवाई की अगली तिथिः– **21.12.17** को रखें।

(उपेन्द्र नारायण उराँव)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
राँची।

21.12.17 – वादी की ओर से दो महिला श्रीमती सावित्री देवी एवं अम्बिका देवी उपस्थित। प्रतिवादी उपस्थित।
आदेश का अनुपालन हुआ। जिसका उपस्थित वादी प्रतिवादी से सत्यापन किया गया।

1.12.17 में पारित आदेश का पालन
किया जा चुका है। जन वितरण विक्रेता
को भविष्य में कोई अनियमितता न हो
की चेतावनी के साथ संचिकास्त
किया जाता है।

[signature]
21.12.17